सं. ई: 11011/27/2017–हिन्दी/1263

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

906 (द), सेवा भवन, नई दिल्ली,
नई दिल्ली –110606
दिनांक: 05 सितम्बर, 2017

सेवा में,

समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार),
सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग,
सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग।

विषय:– अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को आयोजित 129वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

(Minutes of the 129th meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Hq.) held on 22 September, 2017 & time-bound action on decisions taken therein--reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को सायं **4.00** बजे आयोजित की गई केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 128वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

भवदीया,

5/10/17

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011–29583720

संलग्नक: यथोक्त

कृपया पॉइन्ट क्र. 4 पर चर्चा करें।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना/नदी प्रबंध के प्रधान/निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव।
6. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
7. निदेशक, एसएमडी निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

05/10/17

16/10

उ.नि.-2 (SMD)

अखिल 14/12/17

स०नि० (आर्या जी)

SMD अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 392
दिनांक/Date 14-12-17

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को सायं 4.00 बजे आयोजित 129वीं बैठक का कार्यवृत्त।

****

अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को सायं 4.00 बजे, समिति कक्ष, तृतीय तल, सेवा भवन में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त सचिव महोदय, के.ज.आ. ने बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129वीं बैठक की औपचारिक शुरूआत करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने सभी सदस्यों का पुनः स्वागत किया और बैठक की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति के सदस्यों को बताया कि दिनांक 19.06.2017 को आयोजित की गई पिछली बैठक का कार्यवृत्त परिचालित किया गया था। इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई। तत्पश्चात् सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बैठक की कार्यसूची को मदवार सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में सभी मदों पर विस्तार से चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः—

1. मदवार चर्चा के दौरान सहायक निदेशक (रा.भा.) ने केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने संबंधी मामला उठाया और बताया कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा फरीदाबाद कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। समिति को भेजी गई प्रश्नावली में आयोग की वेबसाइट का रीडिजाइन करने का उल्लेख किया गया था। निदेशक, एसएमडी द्वारा यह सूचित किया गया था कि आयोग की वेबसाइट को रीडिजाइन एवं अद्यतन किया जा रहा है, जिसे नवम्बर, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त सचिव महोदय ने संसदीय समिति के संभावित निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय की वेबसाइट को शीघ्र ही द्विभाषी बनवाने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष, के.ज.आ. ने निदेशक, एसएमडी को कहा कि इसे शीघ्र द्विभाषी बनाया जाए। निदेशक, एसएमडी ने बताया कि वेबसाइट पर काफी मात्रा में सामग्री पड़ी हुई है। इसमें से कौन सी सामग्री वेबसाइट पर रखी जानी है इसका निर्णय कौन करेगा। संयुक्त सचिव ने कहा कि जो अंग्रेजी की सामग्री अपलोड की जाएगी उसी सामग्री का हिंदी अनुवाद भी होगा। इस पर निदेशक, पीसीपी ने प्रश्न उठाया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सामग्री वेबसाइट पर रखनी है और कौन सी नहीं। इस पर चर्चा करते हुए सभी सहमत हुए कि सभी समन्वय निदेशालय अपनी-अपनी सामग्री की जांच कर सूची तैयार करें और निदेशक, एसएमडी को बताएंगे कि कौन-कौन सी सामग्री रीडिजाइन की जा रही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मामले पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सामग्री जांच एवं सूची बनाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. ने पुनः सुझाव दिया कि संयुक्त सचिव, के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें निदेशक, एसएमडी, निदेशक, पीसीपी और तीनों स्कंधों के समन्वय निदेशक सदस्य होंगे और यह समिति वेबसाइट पर अपलोड किए जाने योग्य सामग्री को अंतिम रूप देगी और

तत्पश्चात् निदेशक, पीसीपी द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से हिंदी अनुवाद करवाया जाएगा। वित्तीय प्रावधान के मामले में बताया गया कि मंत्रालयों में सामान्य अनुभाग द्वारा ऐसे कार्य करवाए जाते हैं। अतैव, निदेशक, पीसीपी बजट अनुभाग के साथ यह मामला उठाकर वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था करेंगे।

कार्रवाई : निदेशक सभी समन्वय निदेशालय, पीसीपी एवं एसएमडी निदेशालय।

2. बैठक में सहायक निदेशक (रा.भा.) ने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी आंकड़ों पर चर्चा करते हुए समिति को अवगत कराया कि मुख्यालय में राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन किया जा रहा है तथा प्रतिशत में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी की स्थिति अच्छी है लेकिन कई क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन कार्यालयों में ऐसा नहीं हो रहा उन्हें पत्र भेजा जाए। साथ ही भविष्य में जिन क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया जाए उन कार्यालयों में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कम से कम एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में जिन कार्यालयों के हिंदी में काम करने की प्रतिशतता में कमी आई है उन्हें भी पत्र लिख कर ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करने का प्रेरित किया जाए।

कार्रवाईः हिंदी अनुभाग एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय ।

3. बैठक में सहायक निदेशक (रा.भा.) ने पिछली बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी करने के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी और प्रशिक्षण निदेशालय को पत्र भेज दिया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी का समय–समय दौरा करके देखा जाए कि वहां परिवर्तित नियमों के अनुसार हिंदी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उपलब्ध कराई जा रही सामग्री इत्यादि भी हिंदी में है या नहीं।

कार्रवाईः हिंदी अनुभाग, प्रशिक्षण निदेशालय और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ।

4. क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हो रही है पर चर्चा के दौरान निदेशक, एसएमडी ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन–लाइन अथवा ई–मेल के माध्यम से मंगवाई जाए। हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक उन्हें एनआईसी का ई–मेल एड्रेस एवं पोर्टल नहीं मिला है। इस पर सुझाव दिया गया कि निदेशक, एसएमडी हिंदी अनुभाग के लिए एक पोर्टल बनाएं ताकि ई–ऑफिस पर कार्य शुरू होने तक उक्त पोर्टल पर यह रिपोर्ट मंगवाई जा सके।

कार्रवाईःएसएमडी निदेशालय, एनआईसी एवं हिंदी अनुभाग ।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध–I

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को सायं 4.00 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम सर्व श्री/श्रीमती/कुमारी
1.	नरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग
2.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ.
3.	आशिस बनर्जी, सचिव, के. ज. आ.
4.	एच.एस.सेंगर, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय), के. ज. आ.
5.	एल.के.तनेजा, निदेशक (अभि0 एवं अनु0 समन्वय), के. ज. आ.
6.	विनीत गुप्ता, निदेशक (ज. आ. एवं परि. समन्वय)
7.	प्रवीण कुमार, निदेशक (पीसीपी), के.ज.आ.
8.	एस.डी. शर्मा, निदेशक (एसएमडी), के.ज.आ.
9.	एल.बी.टोल्टे, निदेशक (स्थापना–1), के.ज.आ.
10.	आर.के. शर्मा, उप निदेशक (अभि. एवं अनु.), के.ज.आ.
11.	सी.के. प्रसाद, सहायक निदेशक–2 (टीसी निदेशालय), के.ज.आ.
12.	रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा.), के. ज. आ.
13.	बाबू लाल मीना, वरि.अनुवादक, के.ज.आ.
14.	छन्नू राम, वैयक्तिक सहायक, के.ज.आ.
15.	इन्द्रा एस., कनि.अनुवादक, के.ज.आ.